

174

3



सभक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

म0क0 /2014 निगरानी R-3724-5114

श्रीमती सुखवती पत्नी दुर्गाई जाति लोधी
निवासी अलोपा तहसील पलेरा जिला
टीकमगढ म.प्र. ।

.....आवेदक

विरुद्ध

मकुन्दी प्यारेलाल तनय पंचम मुनकर निवासी
अलोपा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ म.प्र. ।

.....अनावेदकगण

निगरानी म0प्र0 भू- राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के तहत विरुद्ध
तहसीलदार पलेरा जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण क 16/अ-03/13-14 मे
पारित आलोच्य आदेश दिनांक 19.12.2013 के विरुद्ध ।

श्री मुनीलाल सिंह जादवने, श्री
द्वारा आज दि 10-11-14 को
प्रस्तुत

राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

elen
11/11/14
11/11/14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3274-एक/2014

जिला टीकमगढ़

सुखवती विरूद्ध मकुन्दी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह तहसीलदार पलेरा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 16/अ-3/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 19-12-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>22/2/19</p>